राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वारा-2018

क्रमांक : कैम्प स्थल. चावण्डिया
दिनांक : 10-05-2018
पटवार [illegible] चावण्डिया
को मूल [illegible] भेजकर लेख है कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कर प्रकरण का मौके पर ही नियमानुसार निस्तारण कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

तहसीलदार (भू.अ.)
जमवारामगढ़

क्रमांक कैम्प/ग्राम पंचा. चावण्डिया 76
दिनांक 10/5/18 तहसीलदार जमवारामगढ़ प्रार्थना पत्र भेजकर लेख हैं कि प्रकरण में अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाई कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवायें।

शिविर प्रभारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर
राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

श्रीमान
प्रकरण में रिकार्ड व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, पंचायत द्वारा दी गई पुष्टि का पारस्परिक मिलान किया गया तथा कैंप स्थल पर मजरे ग्राम में जांच की गई।

उपस्थितानुसार पाया गया कि रिकार्ड में खातेदार का नाम गेंदाराम S/o रामचन्द्र दर्ज है। परन्तु जांच एवं संलग्न दस्तावेजात के अनुसार खातेदार का वास्तविक नाम भूराराम होना पाया गया।

अतः ग्राम चावण्डिया के खाता सं 329 व 330 में वादी का नाम गेंदाराम S/o रामचन्द्र के स्थान पर भूराराम S/o रामचन्द्र शुद्ध किया जाना उचित होगा।

प्रार्थना
भूराराम
वादी

मूलही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के लाइक विचारित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
जमवारामगढ़

~~आदेश~~

मु.नं. - 12/2018
धारा - 88 R.T. Act
उनवान - भूराराम मीना बनाम सरकार

आदेश

मुताबिक तहसीलदार जमवारामगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार नाम दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जाते हैं। तहसीलदार जमवारामगढ़ तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़